क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 270, गुरुवार, 25 अक्टूबर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

सबरीमाला मामले पर सुनवाई 13 नवम्बर को

नई दिल्ली, एजेंसी। सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर शीर्ष अदालत 13 नवंबर को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के आदेश के बाद समूचे दक्षिण भारत में विरोध के स्वर मुखर हुए हैं। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 28 सितंबर को 4:1 के बहुमत से अपने फैसले में कहा था कि सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाए। मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय अयप्पा श्रद्धालु एसोसिएशन (नाडा) की याचिका सहित 19 पुनर्विचार याचिकाएं 13 नवंबर को दोपहर तीन बजे सूचीबद्ध की जाएं।

सीवर में मौत: लापरवाही के आरोप में प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 3 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के सीवर में 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में कथित लापरवाही बरतने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) असलम खान ने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर अश्विनी कुमार झा, साइट सुपरवाइजर सुबोध और सुरक्षा अधिकारी शुभम नोटियाल को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पुलिस उस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी जिसे दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर की देखरेख का ठेका दिया था। अधिकारी ने कहा कि दूमान राय के साथ दो लोग थे जिन्हें उसे बाहर खींचना था, लेकिन वह समय पर यह काम नहीं कर सके जिसके कारण राय की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि राय की सहायता के लिए वहां और लोग होने चाहिए थे। जानकारी के अनुसार, दूमान राय की रविवार को सीवर में डूबने से मौत हो गई थी।

सवालों में घिरा वृद्ध दंपति हत्याकांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, छह फरार

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के जमालपुर गांव में 12 अक्टूबर को पैरा एथलील वरुण भाटी के कुनबे के दादा-दादी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बावरिया गिरोह के तीन सदस्यों को आगरा एसओजी की मदद से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस गिरोह के छह आरोपी अब भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी नरेश, राजू व धर्मपाल हैं जो हरियाणा के पलवल के रहने वाले हैं। गिरोह का सरगना भूरा है, जिसने अपनी पत्नी के साथ घटना से 4 दिन पहले गांव में रैकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया था।

जामिया हमदर्द विविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रा को डिग्री प्रदान करते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू।

पंजीकरण रद्द करने का अधिकार रजिस्ट्रारों को देने वाला 'आप' का सर्कुलर रद्द

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है जिसमें रजिस्ट्रारों को दस्तावेजों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास ऐसे अधिकार नहीं हैं। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी.के. राव की बैंच ने 13 जुलाई 2016 के दिल्ली सरकार के सर्कुलर को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह 1908 के पंजीकरण कानून का उल्लंघन है। सर्कुलर में रजिस्ट्रार को अधिकार दिया गया था कि अगर यह पाया गया कि किसी दस्तावेज का पंजीयन धोखाधड़ी से किया गया है तो वह पंजीकरण रद्द कर सकता है। सर्कुलर को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि पंजीकरण कानून की धारा 82 के तहत रजिस्ट्रारों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। कानून के तहत दस्तावेज को पंजीकृत कराते समय झूठा बयान या गलत सामग्री देने पर सात साल जेल की सजा या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बैंच ने कहा कि सत्य पाल आनंद (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजीकरण कानून की धारा 82 के तहत रजिस्ट्रारों को ऐसी शक्ति नहीं है कि वह किसी दस्तावेज का पंजीकरण रद्द करे। यह फैसला एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एरेनेस फाउंडेशन की जनहित याचिका पर आया है। इस याचिका में सर्कुलर को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि मौजूदा कानून के तहत रजिस्ट्रार को पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है।

डीडीसीए में धन की हेराफेरी मामला: कोर्ट ने ज़्लोजर रिपोर्ट पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली एवं जिला क्रिक्रेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के कुछ अधिकारियों द्वारा एसोसिएशन में धन की कथित हेराफेरी और फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने या नहीं करने के संबंध में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने इस मामले में अपना आदेश सुनाने के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस मामले में नवंबर, 2015 में एफ्आईआर दर्ज की गई थी और दिल्ली पुलिस ने 2016 में यह कहते हुए मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर की थी कि उसे डीडीसीए में धन की हेराफेरी का कोई सबूत नहीं मिला। इस रिपोर्ट में कहा गया है, ''इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि सेंट्रल बैंक में यह खाता खोलकर या डीडीसीए के दूसरे बैंक खातों से इस खाते में धन के अंतरण से भी एसोसिएशन को गलत ढंग से कोई नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस ने खेल निकाय डीडीसीए के अधिकारियों- रवींद्र मनचंदा और चेतन चौहान के खिलाफ विश्वासघात, धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी आदि के कथित अपराधों को लेकर एफ्आईआर दर्ज की थी। डीडीसीए के डायरेक्टर और पूर्व क्रिक्रेटर सुनील देव की शिकायत पर एफ्आईआर दर्ज की गई थी। एफ्आईआर में मनचंदा और अब उत्तर प्रदेश के मंत्री चौहान पर देव के फर्जी हस्ताक्षर से अवैध रूप से बैंक खाता खोलने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। उसमें यह भी आरोप लगाया था कि बैंक खाता खोलने के बाद उन्होंने 6.5 करोड़ रुपये अवैध रूप से इस खाते में अंतरित किया और 4.5 करोड़ रुपये की सावधि जमा कराए। लेकिन पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि देव ने लिखित बयान दिया है कि कंपनी के प्रस्ताव के संबंध में गलतफहमी की वजह से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और बैंक खाता वैध तरीके से खोला गया था। वह बिना शर्त इन व्यक्तियों के खिलाफ मामला वापस लेना चाहते हैं।

»» जामिया हमदर्द विविद्यालय का दीक्षांत समारोह

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गेम चेंजर सिद्ध हुआ : वेंकैया

नई दिल्ली, एजेंसी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को गेम चेंजर कार्यक्रम बताते हुए महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लड़कियों की शिक्षा विशेषकर उनके कौशल विकास पर जोर दिया है।

नायडू ने मंगलवार को जामिया हमदर्द विविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा देने से अधिक महत्वपूर्ण कदम कुछ भी नहीं हो सकता है। एक महिला शिक्षित होती है तो समाज के हर क्षेत्र में विकास होता है। चाहे वह आर्थिक प्रगति हो या मृत्यु दर में कमी हो या अन्य क्षेत्र में प्रगति हो। उन्होंने कहा कि लड़कियों को शिक्षा देने के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कार्यक्रमों ने समाज की तस्वीर बदलने का काम किया है और लोगों को प्रेरित भी किया है कि वे अपनी लड़कियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। उन्होंने हमदर्द विविद्यालय की इस बात के लिए तारीफ की कि उसके यहां करीब पचास प्रतिशत लड़कियां पढ़ रही हैं। उन्होंने हमदर्द विविद्यालय के विद्यार्थियों को सलाह भी दी कि वे मरीजों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं और उनका समूर्ण इलाज करें। उपराष्ट्रपति ने शैक्षिक संस्थाओं से सौर ऊर्जा जल संरक्षण जैसे कार्यक्रमों को अपनाने पर भी बल दिया और कहा कि छों को भी प्रकृति तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने की भी सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल के प्रति सचेत करते हुए कहा कि मानवीय संबंधों से अधिक तरजीह उपकरणों को नहीं दिया जाना चाहिए।

पत्नी ने किया माफ तो कोर्ट ने भी दिखाई नरमी, एफआईआर रद्द कर जुर्माना ठोका

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी को अपमानित करने के लिए उसके नाम से ऑनलाइन सामन बेचने वाली वेबसाइटों पर फर्जी अकांउट बनाने वाले व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज एफ आईआर को रद्द कर दिया क्योंकि महिला ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने पति को माफ कर दिया है।

एफ आईआर के मुताबिक, व्यक्ति ने ऑनलाइन सामान बेचने वाली वेबसाइटों पर अपनी पत्नी के नाम से साथी की पाने की इच्छा व्यक्त की और उनके बारे में जानकारी दी। इसके बाद महिला को अपमानजनक संदेश मिले। हाईकोर्ट में व्यक्ति के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफदर्ज एफआईआर शादी के विवाद का ही हिस्सा है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

कोर्ट एफआईआर रद्द करने को राजी

दंपति ने बाद में कोर्ट में अभिवेदन दिया कि उन्होंने विवाद को निपटा लिया है और मामले को बंद करने की मांग की। कोर्ट व्यक्ति के खिलाफ एफ आईआर रद्द करने को राजी हो गई क्योंकि महिला ने कहा था कि उनका उसके साथ विवाद को निपटान हो गया है और उनकी शिकायत पर मुकदमा चलाने की इच्छा नहीं है।

महिला ने बड़ा दिल दिखाया

जस्टिस संजीव सचदेवा ने हाल में दिए आदेश में कहा कि एफ आईआर में व्यक्ति के आचरण के बारे में आरोप हैरान करने वाले हैं,

लेकिन मामले में महिला ने बड़ा दिल दिखाकर अपने पति को माफ करने की इच्छा जताई, बावजूद इसके उसने महिलाओं को अपमानित किया।

कोर्ट ने केरल के मुख्यमंत्री के राहत कोष में तीन हफ्तों में एक लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने की स्थिति में उसके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी।

8 साल की देरी के बाद 4 नवंबर को जनता के लिए खोला जाएगा सिग्नेचर ब्रिज

नई दिल्ली। दिल्ली में लंबे समय से यमुना नदी पर बन रहा सिग्नेचर ब्रिज का काम अब लगभग पूरा हो गया है। इसके निर्माण में हुई 8 साल की देरी के बाद इसे अब आगामी 4 नवंबर को जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। पहले 2010 में इसका उद्घाटन किया जाना था। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिवाली से पहले 4 नवंबर को इसे दिल्ली की जनता को समर्पित करेंगे। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीटीटीडीसी) के महाप्रबंधक सी. अरविंद ने बताया कि इसके लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए हमने ट्रैफिक विभाग को भी पत्र लिखा है। अगर यह सही समय पर मिल गया तो हर हाल में यह 4 नवंबर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 675 मीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण कार्य डीटीटीडीसी ने किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। अधिकारी ने बताया कि मनीष सिसोदिया जो टूरिज्म मंत्री भी हैं उन्होंने खास हिदायत दी है कि इस बार उद्घाटन की तिथि में और अधिक देर न की जाए।

अक्टूबर तक अस्थाना पर नहीं होगी कार्रवाई

राकेश अस्थाना को हाईकोर्ट से राहत

नई दिल्ली। घूस मामले में अपने खिलाफ दायर एफ आईआर को लेकर सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। अस्थाना ने उच्च न्यायालय से यह निर्देश देने की मांग की कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। उनकी याचिका मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन के समक्ष पेश की गई जिन्होंने मामले को एक उचित पीठ को आवंटित कर दिया। पीठ ने अस्थाना पर किसी तरह की कार्रवाई करने पर 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी। वहीं सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार ने जांच एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों के संबंध में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दूसरी ओर एक अन्य कोर्ट ने डीएसपी देवेंद्र कुमार को सात दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। देर शाम सीबीआई ने उन्हें सेवा से निलम्बित कर दिया। सीबीआई ने सोमवार को घूस से जुड़े एक मामले में अपने डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था।

व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूली का कार्य शुरू

आरएफआईडी पण्राली से लैस हुए निगम के टोल प्लाजा

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी में प्रवेश करने वाले बड़े व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का काम 23 अक्टूबर से पुन: शुरू हो गया। नगर निगमों के 10 टोल प्लाजा पर यह कार्य शुरू हो चुका है।

नगर निगमों ने आरएफआईडी पण्राली शुरू करने से वजह से फिलहाल व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगा रखी थी। खासबात यह है कि 23 नवम्बर से टोल टैक्स की नई दरें लागू होंगी, जो अधिक होंगी। नगर निगम ने टोल टैक्स पण्राली को पारदर्शी बनाने के लिए आरएफआईडी पण्राली शुरू की है।

इस पण्राली ने काम करना शुरू कर दिया है। 13 में से 10 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली 23 अक्टूबर से ही शुरू हो गई। बाकी टोल प्लाजा पर भी नवम्बर के पहले सप्ताह में यह पण्राली काम करने लगेगी।

नगर निगम ने सभी वाहन चालकों को नये सिरे से पंजीकरण कराने को कहा है। जिससे वह टोल कार्ड को ऑन लाइन रीचार्ज करा सकें। निगमायुक्त डॉ पुनीत गोयल ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया काफी आसान है और अब इसमें केवल 5 मिनट का समय ही लगेगा। इसके लिए वाहन चालक को अपना वाहन ले जाना होगा

और साथ में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, वाहन बीमे की प्रति, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस व मोबाइल नंबर देना होगा। पंजीकरण के एवज में 200 रपए लगेंगे।

डॉ गोयल ने कहा कि 23 नवम्बर के बाद पूर्व पंजीकरण एवं आरएफ आईडी के बगैर वाहनों को टोल टैक्स का अधिक भुगतान करना होगा। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुराने वाहन पंजीकरण के लिए मान्य नहीं होंगे। उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर निगमों के सभी टोल प्लाजा पर नयी पण्राली विकसित करने का कार्य 9 अगस्त को शुरू हुआ था।

नयी पण्राली विकसित होने तक 36 दिन के लिए टोल टैक्स की वसूली रोक दी गयी थी, लेकिन यह पण्राली समय पर विकसित न हो पाने की वजह से टोल वसूली का मामला आगे तक के लिए टाल दिया गया था।

जयपुर के दिग्गी पैलेस में राजस्थान हेरिटेज वीक-2018 के तहत आयोजित एक फैशन शो में सामूहिक तस्वीर खिंचवातीं मॉडल्स।

नारायण मंदिर के समीप एक कमरे में आरोपी निकुंज उर्फ करण स्वरुपदास बाबूभाई सवानी (24) ने करीब पंद्रह दिन पहले और फिर 23 अक्टूबर को एक स्थानीय महिला से कथित रुप से बलात्कार किया।

20 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोप में स्वामी नारायण मंदिर का पुरोहित गिरफ्तार

एजेंसी,सूरत। गुजरात के सूरत में स्वामी नारायण संप्रदाय के एक पुरोहित को एक महिला से दो बार कथित रुप से बलात्कार करने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कटारगाम थानाक्षेत्र के डाभोली में स्वामी नारायण मंदिर के समीप एक कमरे में आरोपी निकुंज उर्फ करण स्वरुपदास बाबूभाई सवानी (24) ने करीब पंद्रह दिन पहले और फिर 23 अक्टूबर को एक स्थानीय महिला से कथित रुप से बलात्कार किया। कटारगाम थाने के निरीक्षक एम आई पठान ने कहा, ''निकुंज उर्फ करण स्वरुपदास बाबूभाई सवानी ने 20 वर्षीय एक महिला के साथ कथित रुप से दो बार बलात्कार किया और उसे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी। पठान के अनुसार महिला को किसी ने यह बताया था कि सवानी उसकी बीमार मां के इलाज के लिए मदद कर सकता है। इसी के बाद वह उसके पास मदद मांगने पहुंची। पुलिस अधिकारी ने कहा, ''जब वह उससे मिली तब उसने उसे वित्तीय सहायता का वादा कर अपने जाल में फंसाया और बलात्कार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने उसकी मदद नहीं की और 'जब मंगलवार को वह पैसे के लिए फिर उससे मिलने गयी तब फिर उसने दोबारा बलात्कार किया। पीड़िता ने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया। फिर उन्होंने पुरोहित के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस के अनुसार पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और घटनास्थल पर फोरेंसिक जांच की जा रही है।

संपादकीय

आंतरिक लड़ाई

जांच एजेंसी सीबीआई की आंतरिक लड़ाई चिंतित करने वाली है। इससे असामान्य स्थिति क्या हो सकती है कि सीबीआई के निदेशक की पहल पर ही विशेष निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हो जाए। दूसरी ओर, प्राथमिकी दर्ज होने से काफी दिन पहले विशेष निदेशक ने कैबिनेट सचिव एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त को निदेशक पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोपों वाला शिकायती पत्र दिया था। इस तरह दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। सीबीआई के दो शीर्षतम अधिकारी ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, तो उनके हाथों जिन मामलों की छानबीन और कार्रवाई की कमान है, उनकी क्या दशा होगी। आप देख सकते हैं कि किसी बहुचर्चित मामले में लंबे समय से कोई प्रगति नहीं हुई है। विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने लिखित शिकायत की हुई है कि निदेशक आलोक वर्मा कार्रवाई की अनुमति के लिए उनकी भेजी फाइलों को दबाकर बैठ जाते हैं, तो वर्मा की ओर से सीबीआई बयान दे देती है कि स्वयं अस्थाना पर ही कई प्रकार के आरोप हैं। आज भी जिन मामलों की जांच को लेकर स्थानीय पुलिस की निष्पक्षता को लेकर संदेह होता है, या जिनकी जांच करने में पुलिस अक्षम होती है, उन सबको सीबीआई को सुपुर्द किया जाता है। आपराधिक मामलों की जांच के लिए अंतिम आसरा सीबीआई ही हैं। किंतु उसकी जैसी कुरूप तस्वीर सामने आई है, उससे तो लगता है कि यह भ्रष्टाचार, गुटबंदी, एक दूसरे को फंसाने की कवायदों तथा मामलों को अपने अनुसार मोड़ देने जैसे अपकर्मों में संलिप्त है। जिस मामले को लेकर यह स्थिति बनी है, उसमें एक व्यक्ति ने मुकदमे से अपना नाम हटाने के लिए 2 करोड़ 95 लाख घूस देने का आरोप लगाया है। उसके आरोप पर उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो मामले का जांच अधिकारी था। यह कोई पहला मामला तो हो नहीं सकता। इसका अर्थ हुआ कि सीबीआई में घूस के आधार पर मुकदमों की दिशा तय होती है। यह स्थिति है तो हम कैसे विास करें कि जिन मामलों की छानबीन कर सीबीआई हमारे सामने प्रस्तुत करती है, वे वाकई वैसे ही हों? अनेक आरोपियों ने पहले भी सीबीआई पर बिना वजह तंग करने का आरोप लगाया है। जाहिर है, इस अभूतपूर्व स्थिति का लाभ उठाते हुए सीबीआई की संपूर्ण सफाई की प्रक्रिया चलनी चाहिए जिससे कि यह पेशेवराना तरीके से अपनी भूमिका को अंजाम दे सके।

मुद्रा कोष में गिरावट

इधर दौर तरह-तरह की नकारात्मक आर्थिक खबरों का है। कभी कच्चे तेल के भावों के बढ़ने की खबरें आ रही हैं, कभी विदेशी मुद्रा कोष में गिरावट की खबरें आ रही हैं। इन नकारात्मक खबरों के बीच कुछ सकारात्मक खबरें आई हैं, कर व्यवस्था को लेकर। हालिया आंकड़ों के मुताबिक 2014-2015 से 2017-18 के बीच यानी करीब चार सालों में एक करोड़ रु पये सालाना से ज्यादा की आय दिखानेवाले व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में करीब 68 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में ऐसे करोड़पति करदाताओं की तादाद 48,416 थी और 2017-18 में यह बढ़कर 81,344 हो गई। इस खबर पर खुश हुआ जा सकता है कि चार सालों में करीब 68 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। पर यह खबर यह सवाल भी पैदा करती है कि क्या सच में एक करोड़ से ऊपर की सालाना आय वाले व्यक्तिगत करदाता इस मुल्क में एक लाख से भी नीचे हैं। महंगी कारों की बढ़ती सेल, लाखों रु पये की मोटरसाइकिलों की सेल, महंगी घड़ियों की सेल लगातार कई लोगों का बढ़ता जीवन स्तर बताता है कि करोड़पतियों की तादाद घोषित संख्या से बहुत ज्यादा है। अब भी कई लोग आय को छुपाने में कामयाब हो रहे हैं। यह बात अपनी जगह सही है कि नोटबंदी के बाद कई लोगों में खौफ पैदा हुआ और वो अपनी सही नहीं, तो कम-से-कम पुरानी घोषित आय के मुकाबले ज्यादा आय बताने को विवश हुए। एक स्मार्ट कर व्यवस्था का काम यह है कि हर तरह की आय को कर व्यवस्था के दायरे में लेकर आए। अभी तो स्थिति यह है कि कर अधिकारियों और कर चोरों के बीच तू डाल-डाल मैं पात-पात जैसा संघर्ष चलता दिखाई देता है। कर व्यवस्था इतनी सरल हो कि कोई भी उसमें दाखिल हो सके। ईमानदार करदाता को यह आास्ति होनी चाहिए कि उसे परेशान नहीं किया जाएगा। स्थितियां बताती हैं कि अब भी इन दोनों मोर्चो पर बहुत काम होना बाकी है। करोड़पति करदाताओं की तादाद में करीब 68 प्रतिशत बढ़ोत्तरी चार सालों में निश्चय ही खुशी की विषय है, पर यह समय इस सवाल पर गहन विमर्श का भी है कि क्या सच में पूरे देश में ऐसे व्यक्तिगत करदाता एक लाख भी पूरे नहीं हैं, जिनकी सालाना आय करोड़ से ऊपर हो।

गैर-जमानती मामला

''सीबीआई ने सीबीआई पर छापा डाला'। जिन अखबारों ने बचते हुए मामले को उठाया, उनके शीर्षक हैं कि नम्बर एक और नम्बर दो की जंग तेज हुई। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सीबीआई निदेशक अपने ही विशेष निदेशक पर तीन करोड़ रु पये से ऊपर की रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर करे और विशेष निदेशक केंद्रीय सतर्कता आयोग और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर आरोप लगाए कि निदेशक ने इसी मामले में दो करोड़ रुपये की रिश्वत ली है। इससे भी विडंबना की बात है कि एफआईआर के बावजूद विशेष निदेशक गिरफ्तार नहीं हुआ। डीएसपी पकड़ लिया गया जबकि सीबीआई जब किसी लोकसेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दायर करती है,

सतीश पेडणोकर

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1941 में बनी विशेष पुलिस फोर्स को आजाद भारत की रियासतों के भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए तैयार करने का सपना देखा था। वह जानते थे कि रसूखदार लोग किस प्रकार अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके न सिर्फ बड़े-बड़े अपराध करते हैं, बल्कि बचकर निकल भी जाते हैं। इसलिए उन पर निगरानी के लिए एक केंद्रीय एजेंसी जरूरी है। आज देश के भीतर फिर वैसे रसूखदार और भ्रष्ट लोगों की बहुतायत है। हालांकि पटेल के निधन से वह काम अधूरा छूट गया और उसे पूरा होने में अगले 16 साल लग गए। आज उसी केंद्रीय एजेंसी की जबरदस्त छीछालेदर सामने आई है। मंगलवार के अखबारों के वे शीर्षक याद रखे जाएंगे कि ''सीबीआई ने सीबीआई पर छापा डाला'। जिन अखबारों ने बचते हुए मामले को उठाया, उनके शीर्षक हैं कि नम्बर एक और नम्बर दो की जंग तेज हुई। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सीबीआई निदेशक अपने ही विशेष निदेशक पर तीन करोड़ रु पये से ऊपर की रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर करे और विशेष निदेशक केंद्रीय सतर्कता आयोग और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर आरोप लगाए कि निदेशक ने इसी मामले में दो करोड़ रुपये की रिश्वत ली है। इससे भी विडंबना की बात है कि एफआईआर के बावजूद विशेष निदेशक गिरफ्तार नहीं हुआ। डीएसपी पकड़ लिया गया जबकि सीबीआई जब किसी लोकसेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दायर करती है, तो गैर-जमानती मामला बनता है, और उसे गिरफ्तार तो किया ही जाता है। कई पुलिस अधिकारी और सिपाही तो सौ रुपये की रिश्वत पर पकड़ लिए जाते हैं। इसलिए अगर कभी सीबीआई के अधिकारी बीआर लाल ने कांग्रेसी लीपापोती से ऊब कर सवाल पूछा था कि सीबीआई का मालिक कौन-एक नग्न सच्चाई (हू ओन्स सीबीआई नैकेड ट्रुथ) तो आज यह सवाल पूछा जा सकता है कि सीबीआई किसकी जांच करे-अपनी या दूसरों की' क्योंकि सीबीआई का मालिक कौन?, इसमें तो कोई भ्रम नहीं है। सीबीआई का मालिक वही है, जो देश की सत्ता का मालिक है। चाहे वह नेता हो या परोक्ष रूप से पूंजीपति। बल्कि कहा जाए कि सबदा मालिक एक है, तो भी अतिश्योक्ति नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि सीबीआई के भीतर से पटाखों की तरफफू टने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों की पहले जांच होनी चाहिए या बाहरी व्यक्तियों और संस्थाओं की। विधिशास्त्र की बड़ी मशहूर सूक्ति है, ''वन हू वान्ट्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी' यानी जो किसी का अपराध पकड़ने का काम कर रहा है, उसे स्वयं अपराधी नहीं होना चाहिए। अपराध की जांच करने वाला ही संदिग्ध है, तो जांच पर किसको भरोसा होगा। इसलिए अगर यूपीए सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने टूजी और कोयला घोटालों की जांच के समय सीबीआई पर तंज कसते हुए कहा था कि यह तो पिजड़े में बंद तोता है यानी उसका मालिक जो रटाएगा वही बोलेगा। लेकिन आज पिजड़े में बैठे तोते आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। उन्हें मालिक का ख्याल ही नहीं रहा है या उसमें एक अपने को मालिक के ज्यादा करीब समझता है, तो दूसरे को अपनी ताकत के इस्तेमाल की पड़ी है। सीबीआई विशेष पुलिस बल के रूप में गठित हुई थी। बाद में इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक संस्था का रूप दिया गया। उसके जिम्मे आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, भ्रष्टाचार के मामले और बड़े लोगों के मामले दिए गए। वे ऐसे मामले होते हैं, जिन पर राज्य की पुलिस दबाव में आ जाती है, या अपने रोजमर्रा के कामों से ऊपर उठकर वह उन पर उतना समय और विशेषज्ञता नहीं लगा पाती। लेकिन बीआर लाल ने अपनी किताब ''हू ओन्स सीबीआई' में बता दिया है कि वह राजनीतिक दबाव से किस कदर पायमाल है। इसकी सबसे ज्यादा लाचारी सामने आई जब उसने बोफोर्स तोप सौदे की जांच अपने हाथ में ली। उस समय के

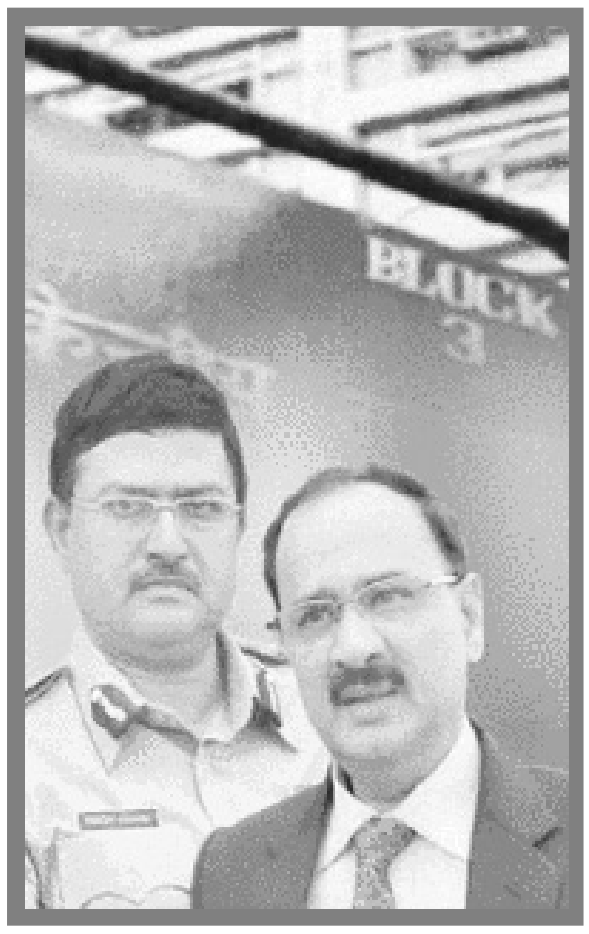

अखबार कितनी खबरों से भरे पड़े थे कि सीबीआई बोफोर्स के दस्तावेज लाने स्विटजरलैंड गई, स्वीडन गई, लंदन गई। उसके बाद तमाम फोटो छपते थे जिनमें बक्शों में बोफोर्स के कागज लेकर सीबीआई आ रही है, और हाई कोर्ट में जमा कर रही है। सीबीआई की वह जांच एक मजाक बन गई क्योंकि उसमें से कुछ निकला नहीं। शायद इसीलिए कांग्रेस का पक्ष लेते हुए चंद्रशेखर कहा करते थे कि बोफोर्स की जांच तो कोई दरोगा भी कर सकता है, उसके लिए सीबीआई की क्या जरूरत है। आज इस प्रमुख संस्था में मचे घमासान से साबित हो गया है कि उसमें किसी विशेष साख और प्रतिबद्धता के अधिकारी नहीं, एक प्रकार के दरोगा ही बैठते हैं, जो अपनी तरक्की के लिए किसी को फंसा देते हैं, और किसी को बख्श देते हैं। सीबीआई ने न सिर्फबोफोर्स की दलाली में शामिल इतालवी व्यापारी ओक्टावियो क्वात्रोच्चि को विदेश जाने की इजाजत दे दी, बल्कि हाल में बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले व्यापारी विजय माल्या के लुक-आउट नोटिस को भी उसी तरह नरम कर दिया। आतंकियों को चंदा पहुंचाने वाले हवाला रैकेट में फंसे लालकृष्ण आडवाणी, विद्याचरण शुक्ल, पी शिवशंकर, मोती लाल वोरा और यशवंत सिन्हा को भी सीबीआई की जांच में बेदाग करार दिया गया और अब तक सीबीआई की जांच में न मायावती फंस सकी हैं, न मुलायम। टूजी मामला भी छूट ही गया है। सोहराबुद्दीन का विवाद भी इसकी विफलता का उदाहरण है। सीबीआई की सफलता चारा घोटाले के रूप में लालू यादव को लपेटने के रूप में जरूर देखी जा सकती है। उसके मामलों में सजा पाने की दर 67 प्रतिशत है, और यह उपलब्धि अच्छी ही कही जाएगी। हालांकि सीबीआई जैसी संस्था का आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाना एक बड़ी विडंबना है। उसे कितना और कैसे लाया जाए इस बारे में भी सोचना होगा। सवाल है कि हमें सीबीआई जैसी संस्था को देश में कानून के राज को मजबूत करने के लिए रखना है, या राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के लिए। इसकी साख बहाल करनी है तो इसे 2013 के कानून के तहत तत्काल लोकपाल जैसी संस्था बनाकर उसके मातहत करना चाहिए। इसे संवैधानिक दरजा देकर प्रतिष्ठा देनी होगी। नहीं तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरह कोई अदालत उसे असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। कई सालों के अनुभवों और आंदोलनों के बाद उसे लोकपाल के साथ जोड़ना एक दूरदृष्टि का सुझाव है, और उसे तत्काल लागू करना चाहिए।

चलते चलते

''मैंने तो नहीं चढ़ाई रेल'

अमृतसर रेल दुर्घटना कौ दोषी कौन ऐ?-चचा, दोषी है रावण?! जिसका पुतला जलता हुआ देखने में लोग बड़ा मजा लेते हैं। लेकिन इस बार तो दोष रावण को भी नहीं दे सकते क्योंकि जिस अभिनेता ने रावण का रोल किया वह स्वयं अमृतसर में निरीह भीड़ को बचाने में मारा गया। वो लोग जिम्मेदार हैं, जो खल पात्रों का नहीं, बल्कि जीवन में महान पात्रों का रोल अदा कर रहे हैं, और सब के सब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वे जिस तरह का हैरत में डाल देने वाला आचरण कर रहे हैं, या जैसा बोल रहे हैं, वह बहुत गलत है चचा।-चौं, कैसै?-स्टेशन मास्टर कहता है कि उसके पास कोई सूचना नहीं थी। भैया स्टेशन मास्टर, क्या तू अपने दड़बे में ही बैठा रहता है? क्या तुझे ट्रैक पर आते-जाते लोग नहीं दिखाई देते? क्या

काहे की जिम्मेदारी! मुख्य अतिथि महोदया कहती हैं कि ''मैंने तो नहीं चढ़ाई रेल'। मंत्री जी कहते हैं कि ''हमारे विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है'। सिद्धू जी कैंडिल मार्च में हंस रहे हैं। यह कोई शैली है चचा? वो ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन उनके शब्दों और भंगिमाओं ने तो कितने लोग मार दिए, कितने लोग आहत हो गए! अंधा मोड़ था। क्या वहां कोई बोर्ड लगा था कि इस अंधे मोड़ पर कभी भी कोई ट्रेन आ सकती है, सावधान रहें।

तुझे पता नहीं चलता कि तेरे क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा हो रहा है, जो कि असामान्य है। आयोजक-महान तो वहां से भाग ही लिए। काहे की जिम्मेदारी! मुख्य अतिथि महोदया कहती हैं कि ''मैंने तो नहीं चढ़ाई रेल'। मंत्री जी कहते हैं कि ''हमारे विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है'। सिद्धू जी कैंडिल मार्च में हंस रहे हैं। यह कोई शैली है चचा? वो ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन उनके शब्दों और भंगिमाओं ने तो कितने लोग मार दिए, कितने लोग आहत हो गए! अंधा मोड़ था। क्या वहां कोई बोर्ड लगा था कि इस अंधे मोड़ पर कभी भी कोई ट्रेन आ सकती है, सावधान रहें। लगाया कोई बोर्ड? लेकिन जनता तो पहले से ही बेहोश रहती है चचा।-जनता कूं बेहोस बतावै?-चचा, बिल्कुल है। एक पति-पत्नी अपने बच्चे को लेकर देखने गए। बच्चा मर गया, पति मर गया। बीवी को चोट लगी। अस्पताल में जब होश आया तो उसे नहीं बताया गया। दोबारा होश आने पर बताया गया तो वह फिर बेहोश हो गई। फिर होश आया। चिता में दाह होने लगा तो रोते-रोते फिर बेहोश हो गई। चचा, ये होश से बेहोशी की यात्रा है। किसमें होश आना चाहिए और किसकी बेहोशी दूर होनी चाहिए, सोचो! एक-दूसरे के सिर पर बला मत टालो, तरीका निकालो।

चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा

समगण परिषद, शिवसेना की राह पर चल पड़ी है। उसने असम की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से न समर्थन वापस लिया है न सरकार छोड़ी है। मगर जोर का झटका धीरे से दिया है। लोक सभा चुनाव से पहले राज्य में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। राज्य में भाजपा के दो सहयोगी दल-अगप और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट-नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। लोक सभा चुनाव में गठबंधन टूटा तो भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। बता दें केंद्र का ''नागरिकता संशोधन बिल 2016' असम और उत्तर-पूर्व में भाजपा और सहयोगी दलों के बीच विवाद का मुद्दा बन गया है। नागरिकता संशोधन बिल भाजपा के लिए गले में फंसी हड्डी बन गया है। 2016 में मोदी सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिन्दुओं, सिखों, ईसाइयों, जैनियों, पारसियों और बौद्धों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया। इसके लिए संविधान में संशोधन करने के साथ असम समझौते में भी संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना उन्हें नागरिकता देने से असम समझौता ही अवैध हो जाएगा। इसे असम के लोग खासकर कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन करने वाली आसू और अगप कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका कहना है कि 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले सभी नागरिक अवैध हैं, और उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए असम की कई संस्थाओं और गणमान्य व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में जनिहत याचिकाएं दायर कीं। इस मामले को विचार करने के लिए संवैधानिक पीठ के पास भेजा गया। हिन्दुत्ववादी भाजपा और संघ परिवार की सोच हमेशा घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच फर्क करने की रही है। वह बांग्लादेशी मुस्लिमों को घुसपैठिया मानती है। मगर हिन्दुओं को शरणार्थी क्योंकि उन्हें धार्मिक वजहों से प्रताड़ित किया गया। इस विधेयक को कानून का दरजा देकर मोदी सरकार बांग्लादेशी हिन्दुओं को असम में बसाना चाहती है। अगप चाहती है कि असम में असमियों का वर्चस्व बना रहे। नहीं तो वे अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे और बंगाली बहुसंख्यक। इसलिए असम समझौते में प्रावधान किया गया था कि 25 मार्च, 1971 के बाद असम में आए किसी भी धर्म के विदेशी को रहने का अधिकार नहीं होगा।

असमियों की दलील है कि असम समझौते के तहत ऐसे हिन्दू बांग्लादेशियों की तादाद बीस लाख है। वर्ष 1971 से पहले आकर असम में बसे बांग्लादेशी हिन्दुओं की तादाद के साथ जब बीस लाख की तादाद और जुड़ जाएगी तो भाषायी तौर पर बांग्लाभाषी हिन्दू असम में बहुसंख्यक बन जाएंगे। असमिया भाषा का सरकारी भाषा होने और शिक्षा का माध्यम होने का दरजा खत्म हो सकता है। अध्यादेश को कानूनी मान्यता दिलवाने के लिए बिल लोक सभा में पेश कर दिया गया। बिल पास होने पर गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस कानून से असम का जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाएगा। असम पर शरणार्थियों का बोझ पड़ने की बात कह कर विवाद क्यों फैलाया जा रहा है। भाजपा की दलील है कि विधेयक में कहीं भी जिक्र नहीं है कि हिन्दू शरणार्थियों को असम में ही बसाना होगा। हो सकता है कि बाकी समस्याओं से भाजपा किसी तरह निपट ले मगर सवाल है कि क्या धार्मिक आधार पर फर्क करने वाला विधेयक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टिक पाएगा?

सत्संग

खूबसूरती की कल्पना

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं-वह कितना बड़ा या छोटा काम है। यह कोई मुद्दा ही नहीं है। जो भी कर रहे हैं, उससे किस हद तक जुड़े हुए हैं, यही चीज आपके जीवन को सुंदर बनाती है। आप फर्श को साफकरते हुए भी अपने जीवन में परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। मैं आपको आश्रम में दिखाऊंगा कि कैसे लोग बड़े आनंद के साथ फर्श साफ कर रहे हैं। उनको काम करते देख ऐसा लगेगा मानो वे धरती का सबसे महान काम कर रहे हों। जब आप पूरी तरह शामिल होकर किसी काम को करते हैं, तो छोटी-छोटी चीजों पर भी लोग गौर करने लगते हैं। कुछ लोग तेल का दीया जलाने के बजाय घी का दीया जलाते हैं, क्योंकि उन्होंने गौर किया है कि घी के दीए से निकलने वाली रोशनी की चमक तेल के दीए के मुकाबले थोड़ी अलग होती है। ये अपने भगवान के लिए थोड़ी अलग चमक व आभा रखना चाहते हैं। कितनी शानदार बात है! भले ही ईर यहां हो या नहीं, लेकिन आपका जीवन बस यह दीया जलाकर ही खूबसूरत हो गया। हालांकि जीवन का यह आयाम नारी सुलभ माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं ऐसे ही जीवन जीती हैं। उनके जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण चीज होती है कि उनके बच्चे अच्छी तरह से खाएं, अच्छी तरह से काम करें। इसकी खूबसूरती की कल्पना कीजिए, जहां व्यक्ति खुद अपने जीवन से परे जाकर दूसरों के लिए सब कुछ कर रहा है, उसे अपनी जिंदगी के बारे में कभी चिंता नहीं होती। चूंकि औरत की इस खूबी का शोषण हुआ, इसलिए यह खूबी भद्दी हो गई। इसका शोषण न हुआ होता तो यह बिल्कुल शानदार चीज थी। मुझे लगता है कि उनके समर्पण ने हमारे जीवन को हर तरीके से बदल दिया। आप उनके समर्पण को अनदेखा कर बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कभी घर से बाहर निकल कर एक पैसा नहीं कमाया। उन्होंने वे सारी चीजें कभी नहीं कीं, जो पुरुषों से करने की उम्मीद की जाती है, या जिसे महिलाएं करने की कोशिश कर रही हैं। बस, घर-परिवार के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें परिवार में बाकियों से ऊपर रखा। घर में जो कुछ भी होता। जाहिर-सी बात है कि लोग उनके पास जाते और उनसे सलाह लेते क्योंकि हर एक के लिए उनका प्यार व समर्पण ऐसा था कि लोग उनकी बात सुनते थे। और यही चीज जीवन को बड़ा बनाती है।

फोटोग्राफी...

''नारी गरिमा'

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सप्ताह भर चलने वाले दशहरा पर्व के तहत मंगलवार को पारंपरिक वेशभूषा में ''नारी गरिमा' की थीम पर नृत्य प्रस्तुत करतीं महिलाएं।

सार समाचार

खशोगी हत्याकांड में सऊदी अरब ने अपने दूतावास में बने कुएं की तलाशी नहीं लेने दी

इस्तांबुल। सऊदी अरब के अधिकारियों ने इस्तांबुल स्थित अपने वाणिज्य दूतावास के बगीचे में मौजूद एक कुएं में तलाशी लेने की तुर्की पुलिस को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड की जांच के तहत यह इजाजत मांगी गई थी। तुर्की पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए इस महीने वाणिज्य दूतावास की दो बार और सऊदी महावाणिज्य दूत के आवास की तलाशी ली है। वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखने वाले खशोगी की दो अक्टूबर को सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी। वह तुर्की की एक महिला से शादी करने के लिए वहां कुछ दस्तावेज हासिल करने गए थे। एनादोलु समाचार एजेंसी ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि तुर्की पुलिस को सऊदी अधिकारियों ने वाणिज्य दूतावास के बगीचे में स्थित एक कुएं की तलाशी लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। तुर्की इस हत्याकांड की खुद की जांच कर रहा है। लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि खशोगी का शव कहां है।

पेशावर के बाद फिर से पाकिस्तान के एक स्कूल में गोलीबारी, चार बच्चे घायल

कराची। पाकिस्तान में अशांत बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में एक स्कूल में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की है, जिसमें कम से कम चार बच्चे घायल हो गए हैं। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने दानिश कादा स्कूल के द्वार पर गोलीबारी की। यह एक निजी स्कूल है, जो शहर के उपनगरीय इलाके में है। गोलीबारी में चार विद्यार्थियों के पांवों में गोलियां लगी हैं। घायलों में तीन लड़के और एक लड़की शामिल हैं। उनकी उम्र नौ से 12 साल के बीच है। घायल बच्चों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और अब उनकी हालत स्थिर है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर सलीम अहमद खोसा ने गोलीबारी की घटना की निंदा की है और कहा कि हमले में शामिल लोगों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि 2014 में तालिबान आतंकवादियों ने पेशावर में एक स्कूल में हमला किया था जिसमें 149 लोग मारे गए थे। मृतकों में ज्यादातर बच्चे थे।

संयुक्त राष्ट्र ने यमन में भयंकर अकाल के खतरे को लेकर आगाह किया

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि यमन भयंकर अकाल के कगार पर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर महासचिव मार्क लोकॉक ने मंगलवार को कहा कि यमन पर अब स्पष्ट रूप ये भयंकर अकाल का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने यमन में भारी तबाही को देखते हुये ब्रिटिश की पहल पर आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में वहां खाद्य सहायता सामग्री वितरण और बुनियादी जरुरतों से संबंधित सुविधाएं पहुंचाने के फैसले के लिए मानवीय युद्धविराम की अपील की। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि संघर्ष में शामिल सभी पक्ष अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पहले अकाल में 1.1 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की बात कही थी लेकिन अब उनके मुताबिक 1.4 करोड़ लोग इस भंयकर अकाल की चपेट में आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर में भी इसे लेकर आगाह किया था। आपातकालीन राहत समन्वयक लोकॉक ने कहा कि वहां की स्थिति बदतर हो चुकी है। यमन में 2015 से भीषण संघर्ष चल रहा है, जिसमें अब तक करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे बदतर मानवीय संकट करार दिया है।

'मोदीनॉमिक्स', लोकतंत्र की मजबूती के लिए पीएम मोदी, सियोल शांति पुरस्कार से नवाजे गए

नई दिल्ली (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश-दुनिया में बेहतर आर्थिक विकास और भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों में मजबूती के लिए योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है. पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों को 'मोदीनॉमिक्स' के रूप में जाना जाता है.

दक्षिण कोरिया की तरफ से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि विश्व में शांति स्थापित करने, मानव विकास की दिशा में प्रगति और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया जाएगा. पीएम मोदी यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पुरस्कार पाने वाले 14वीं शख्सियत हैं.

इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, 'सियोल शांति पुरस्कार कमेटी ने 2018 सियोल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का ऐलान किया है. अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक आर्थिक विकास, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत के लोगों के विकास में गति, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और सामाजिक एकीकरण के प्रयासों के माध्यम से भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम योगदान के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.'

पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अवॉर्ड के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा है कि कोरिया गणराज्य के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों ही पक्षों की समय के लिहाज से सुविधा को देखते हुए सियोल शांति पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा.

इस संबंध में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई ट्वीट कर कहा, 'ये 130 करोड़ भारतीयों के लिए बेहद प्रसन्नता और गौरव का

विषय है कि पीएम नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है....मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अवॉर्ड कमेटी ने मोदीनॉमिक्स का जिक्र किया है. वास्तव में इसकी बुनियाद समाज के सभी तबकों में समानता और सशक्तीकरण की भावना से प्रेरित है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की साहसिक और नवोन्मुखी विदेश नीति जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी शामिल है, उसको भी सराहा गया है.'

सियोल शांति पुरस्कार

इस पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई थी. उस दौरान सियोल में 24वें ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन हुआ था. उस आयोजन में 160 देशों ने हिस्सा लेकर भाईचारे और शांति का पैगाम दुनिया को दिया. उसी भावना के तहत इस पुरस्कार की स्थापना की गई.

पाकिस्तान आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगाएगा तो उसकी ही होगी जवाबदेही

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा है कि पाकिस्तान से कहा है कि वह अफगानिस्तान में चरमपंथियों पर लगाम लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने इस युद्ध साझेदार को जवाबदेह करार देगा। पोम्पिओ ने मंगलवार को कहा कि वह अफगानिस्तान में लंबे समय बाद हुए संसदीय चुनाव का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हुई समस्याओं के बाद भी अमेरिका मतदाताओं की संख्या को देखकर 'उत्साहित' है। विदेश मंत्री से जब संवाददाताओं ने इसमें पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'हमारी आशा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को अपनी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षित ठिकाने नहीं मुहैया कराएगा।' उन्होंने कहा, 'हम पाकिस्तान को इससे ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात का संदेश नहीं दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा।' अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में से 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता में कटौती की थी। अमेरिका का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने के लिए अब भी आतंकवादियों से संबंध रख रहा है।

खशोगी की हत्या मामले को दबाने की सबसे बदतर कोशिशों में एक : ट्रंप

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के अधिकारियों ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या मामले को ''छिपाने की सबसे बदतर कोशिश'' की। चौतरफा घिरने के बाद आखिरकार सऊदी अरब ने कबूल किया है कि वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखने वाले 59 वर्षीय खशोगी की हत्या इस्तांबुल स्थित उसके वाणिज्य दूतावास में की गई थी। ओवल ऑफिस में मंगलवार को ट्रंप ने संवाददाताओं को बताया, ''उनकी (सऊदी अरब) बहुत ही खराब मंशा थी। इस मामले को और बदतर बनाया गया। और यह मामले को दबाने की इतिहास की सबसे बदतर कोशिश है। बहुत

ही आसानी से। बेहद घटिया करतूत। इसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी।

किसी ने वास्तव में गड़बड़ी की। और उन्होंने अब तक के सबसे बदतर ढंग से मामले को छिपाने की कोशिश की।'' कभी शाही परिवार के करीबी रहे खशोगी बाद में सऊदी अरब के वली अहद (क्राउन प्रिंस) मोहम्मद बिन सलमान के धुर आलोचक बन गए थे। खशोगी अपनी होनेवाली शादी के लिए दस्तावेज लेने 2 अक्टूबर को इस्तांबुल स्थित सऊदी सरकार के वाणिज्य दूतावास गए थे, जिसके बाद वह लापता हो गए थे। इस घटना से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अंतरराष्ट्रीय छवि को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने इस मामले में पूरी जांच करने की बात कही है। सीआईए निदेशक जीना हास्पेल अभी तुर्की में हैं और उनके जल्द अमेरिका लौटने की संभावना है।

सीरिया में तीन साल बंधक रहने के बाद मुक्त जापानी पत्रकार सुरक्षित

तोक्यो (एजेंसी)।

सीरिया में तीन साल से ज्यादा समय तक बंधक रहे एक फ्रीलांस जापानी पत्रकार ने बुधवार को कहा कि वह पड़ोसी देश तुर्की में सुरक्षित हैं। जापानी विदेश मंत्री तारो कोनो ने कहा कि जापानी दूतावास के अधिकारियों ने सीरियाई सीमा के निकट दक्षिणी तुर्की के एक आव्रजन केंद्र में पत्रकार, जुम्पी यासुदा से मुलाकात की। कोनो ने संवाददाताओं से कहा, 'हमें बेहद खुशी है कि हमने जुम्पी यासुदा के सुरक्षित होने की पुष्टि की है।' यासुदा का 2015 में सीरिया में अल-कायदा की शाखा नुसरा फ्रंट द्वारा अपहरण कर लिया गया था। 2015 में जून के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जापान के सरकारी टेलीविजन चैनल एनएचके द्वारा प्रसारित एक वीडियो टेप में यासुदा ने कहा कि वह अभी तुर्की में हैं और सुरक्षित हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहे हैं कि पत्रकार अपने देश लौट जाएं। यासुदा की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके सुरक्षित होने पर खुशी जतायी और कहा कि वे उनसे मिलने के लिए बेसब्र हैं।

पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए 16 भारतीय मछुआरे, तीन नौकाओं को भी किया जब्त

कराची (एजेंसी)।

पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनके समुद्री क्षेत्र में कथित तौर पर भटक कर पहुंच गए 16 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है. सुरक्षा अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी (पीएमएसए) ने एक अभियान के तहत उन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया था.

तीन नौकाओं को भी किया जब्त

सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मछुआरों की तीन नौकाओं को भी जब्त किया गया है. कराची के डॉक पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

अनजाने में दाखिल हो जाते हैं भारतीय मछुआरे

पाकिस्तान और भारत नियमित रूप से एक दूसरे के मछुआरों को गिरफ्तार करते रहते हैं, क्योंकि अरब सागर में सर क्रीक के पास पाकिस्तान और भारत के बीच तट रेखा सीमा सुनिश्चित करने की कोई उचित तकनीक ना होने के कारण वे एक-दूसरे के समुद्री क्षेत्र में अनजाने में दाखिल हो जाते हैं. किसी निश्चित मौके पर रिहा किए जाने तक उन्हें जेल में रखा जाता है.

ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के घर मिला बम, तबाही मचाने की थी कोशिश

नई दिल्ली (एजेंसी)।

अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के घर बम मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस की तत्परता से इस मामले को पकड़ा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह विस्फोटक सामान कुरियर के जरिए भेजा गया था।

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक बम पैकेट में छुपाकर किसी ने रखा था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर हिलेरी क्लिंटन का घर है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने क्लिंटन और ओबामा के घर को घेर लिया है। वहां सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है।

हिलेरी ने 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी से ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। इसमें वह हार गईं थीं। हिलेरी के पति बिल क्लिंटन अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक हिलेरी क्लिंटन का मेल चेक करने वाले एक तकनीकी विशेषज्ञ ने यह विस्फोटक का पैकेट पकड़ा। एक जांच अधिकारी के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी के पास के इलाके में क्लिंटन के घर पर विस्फोटक सामग्री मिली है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की विस्फोटक सामग्री 22 अक्टूबर को अरबपति जॉर्ज सोरोज के घर पर भी मिली थी। समाचार

एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि यह विस्फोटक सामग्री बुधवार की सुबह मिली है। जांच जारी है।

इधर व्हाइट हाउस ने बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के घर बम भेजे जाने की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के आतंकी हमले की कोशिश कायराना हरकत है।

हाफिज सईद के वकील ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को चुनौती दी

लाहौर (एजेंसी)।

पाकिस्तान के एक शीर्ष वकील ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ए के डोगर ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अधिकार को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शरीफ को आशियाना-ए-इकबाल आवास परियोजना मामले में गिरफ्तार किया गया है।

डोगर जमात उद दावा के प्रमुख और 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भी वकील हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 10 (1) के समरूप नहीं है। डोगर ने

कहा, ''अगर किसी व्यक्ति को यह नहीं बताया जाता कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता और इस तरह का आधार जांच पूरी होने के बाद ही स्थापित किया जा सकता है। जब तक आरोपी को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते तब तक कोई भी जांच संवैधानिक रूप से वैध नहीं है।''उन्होंने कहा, ''मैं अदालत से एनएबी प्रमुख द्वारा जारी किए गए विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी के आदेश को निरस्त करने और उन्हें जमानत पर रिहा करने का अनुरोध करता हूं।''

दुश्मन की चुनौती को आकाश में ही नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने किया इजरायल से बड़ा सौदा

यरुशलम (एजेंसी)।

खुद को सुरक्षित करने और दुश्मन की चुनौती को आकाश में ही नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने अब इजरायल के साथ बड़ा रक्षा समझौता किया है। इस सौदे में भारत बराक 8 एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। यह सौदा 777 मिलियन डॉलर (करीब 5,700 करोड़ रुपये) का होगा। इस डिफेंस सिस्टम को तैयार करने में भारत ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसी महीने रूस के साथ हुए पांच अरब डॉलर के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सौदे के बाद भारत की यह दूसरी बड़ी डील है। ताजा सौदे से जाहिर तौर चीन और पाकिस्तान की ओर से पैदा चुनौती से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी और देश ज्यादा सुरक्षित होगा।

5,700 करोड़ में खरीदा जाएगा संयुक्त उपक्रम में तैयार एयर डिफेंस सिस्टम: इजरायल से खरीदा जाने वाला सतह से आकाश में मार करके दुश्मन की हमलावर मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर देगा। यह सिस्टम वस्तुत- नौसेना के सात हमलावर जहाजों की सुरक्षा के लिए लिया जा रहा है। इजरायल की नौसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। वैसे इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल वायुसेना और थल सेना भी कर सकते हैं।

डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आइएआइ) ने कहा है कि भारत के साथ मिलकर तैयार किए गए बराक 8 सिस्टम सौदे से दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों का रक्षा व्यापार अब बढ़कर छह अरब डॉलर (करीब 44 हजार करोड़ रुपये) से ज्यादा का हो गया है।

अत्याधुनिक तकनीक से लैस है डिफेंस सिस्टम : बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पर समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। दुश्मन के हवाई, समुद्री और जमीनी हमलों से बचाव करते हुए उस पर जवाबी हमला करने के लिए इस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिस्टम अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें डिजिटल रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल, लांचर, इंटरसेप्टर, अत्याधुनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी, बड़े स्तर की डाटा लिंक कनेक्टिविटी की सुविधा है।

सिस्टम के रडार मिसाइल ही नहीं हर तरह के विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य उड़नशील उपकरणों को पकड़ने में सक्षम हैं। ये एक साथ दुश्मन के कई लक्ष्यों पर हमला भी कर सकते हैं। यह सिस्टम सभी मौसम में रात और दिन में समान रूप से कार्य करने में सक्षम है।

भारत के सहयोग से बना है बराक 8 सिस्टम: बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को आइएआइ, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), इजरायल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेपंस एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एल्टा सिस्टम्स, इजरायली कंपनी रफाएल और कुछ अन्य भारतीय कंपनियों के सहयोग से बनाया गया है। ताजा सौदे के लिए आइएआइ और भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीइएल) मिलकर कार्य करेंगे।

आइएआइ के सीईओ निरमोड शेफर ने सौदे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि भारत के साथ मिलकर हम काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। यह सिस्टम इजरायल और भारत के प्रगाढ़ तकनीक सहयोग का उदाहरण है। हम भारत में जाकर उत्पादन करने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन ने भी सौदे पर खुशी जाहिर की है और आइएआइ को बधाई दी है।

स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु ने युवती से किया दुष्कर्म

सूरत। सूरत के डभोली स्थित स्वामीनारायण मंदिर के साधु के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। युवती का आरोप है कि साधु ने पैसों की लालच देकर मंदिर बुलाया था और उसके साथ दो दफा दुष्कर्म किया। पुलिस ने साधु को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

जानकारी के मुताबिक सूरत के डभोली चौराहे के निकट स्थित स्वामीनारायण मंदिर के महंत प्रभुस्वामी के 24 वर्षीय शिष्य करणस्वामी नामक साधु के खिलाफ कतारगाम की 20 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित युवती के मुताबिक 15 पहले साधु ने उसे मंदिर स्थित अपने कमरे में बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीडिता के मुताबिक उसकी माता के ऊंगली में गंभीर चोट लगी थी, जिसका शहर के कामरेज अस्पताल में उपचार कराने गए थे। जहां डॉक्टर ने माता की ऊंगली का ऑपरेशन करने की सलाह देते हुए रुपयों की व्यवस्था करने को कहा था। एक सप्ताह पहले वह जीआईडीसी क्षेत्र में रुपयों की मदद के लिए गई थी। जहां एक महिला से उसकी मुलाकात हुई थी और उसी महिला ने करणस्वामी नामक साधु का मोबाइल नंबर दिया था। मंगलवार को युवती ने साधु को फोन कर रुपयों की मांग की थी। साधु ने युवती को मंदिर आकर रुपए ले जाने को कहा था। युवती मंदिर स्थित साधु के उस कमरे में पहुंच गई, जहां वह रहता है। कमरे में साधु ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और इसका किसी से जिक्र करने पर बदनाम करने और जान से मार देने की धमकी दी। साधु ऐसे व्यवहार से युवती स्तब्ध रह गई और वहां से तुरंत रवाना हो गई। पैसों की लालच देकर दो दफा दुष्कर्म करनेवाले साधु की शिकायत युवती ने परिवार से शिकायत की। साधु की करतूत सुनकर परिवार ने तुरंत 181 महिला हेल्पलाइन को कॉल किया और मंगलवार की देर रात मामला सूरत के कतारगाम पुलिस थाने पहुंच गया7 कतारगाम पुलिस ने दफा 376-ए र 506/2 के तहत साधु करणस्वामी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। दूसरी ओर देर पीड़ि युवती को भी मेडिकल जांच के लिए सूरत के स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया।

ये लो जी हो गया डिमोलेशन

आर.टी.आई से अगर इस बिल्डींग के बारे मे जानकारी मांगोगे तो जवाब मिलेगा की इस बिल्डींग को तो डिमोलेशन हो चुका है। लेकिन इस बिल्डींग का डिमोलेशन नहीं बल्की भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्टतंत्र हो चुका है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से प्रभावित गांवों के लिए सरकार ने किया मुआवज का ऐलान

अहमदाबाद। दक्षिण गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा बांध के निकट सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। जिसके खिलाफ आदिवासियों को लामबंद होता देख गुजरात सरकार ने 13 गांव की डूब में जानेवाली जमीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। गरुडेश्वर वियर के कारण डूब में जानेवाले सात गांवों के प्रभावितों को राहत पैकेज का भी सरकार ने फैसला किया है। जो प्रभावित जमीन मांगते हैं उन्हें जमीन और जो जमीन के बदले नकद रकम चाहते हैं, उन्हें प्रति हेक्टर रु. 7.50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के विरोध को देखते हुए गुजरात सरकार ताबडतोब प्रभावित गांवों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक गरूडेश्वर वियर डेम के कारण डूब में जानेवाले गांवों में इंद्रवर्णा, नाना पीपरिया, मोटा पीपरिया, वसंतपुरा, गभाणा, वागडिया और केवडिया गांव शामिल हैं। जबकि प्रोजेक्ट के लिए जिन गांवों की जमीन जा रही है, उसमें केवडिया, वागडिया, नवागाम, लीमडी, गोरा और कोठी गांव शामिल है। इन 13 गांव के प्रभावित लोगों को सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है।

गौरतलब है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 31 अक्टूबर को 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण से पहले यहां आदिवासी समेत 13 गांवों के लोगों ने विरोध करने का बीते दिन फैसला किया था। आदिवासी संगठनों ने बनासकांठा से डांग तक आदिवासी पट्टी में रहनेवाले परिवारों के घर 31 अक्टूबर को चूल्हा नहीं जलाने का ऐलान किया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 70000 से ज्यादा आदिवासी विरोध करेंगे। बीते दिन भरुच से विधायक छोटुभाई वसावा ने कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आदिवासियों के विनाश का न्यौता देगी। बढ़ते विरोध को देखते हुए गुजरात सरकार ने आज मुआवजे का ऐलान कर मामले को शांत करने का प्रयास किया है।

मालगाड़ी ने 13 गायों को रौंदा, 11 गायों की मौत

भरुच। जिले के दहेज के निकट सोमवार की शाम एक मालगाड़ी ट्रेक पर घूम रहीं 13 गांवों को रौंदते हुए आगे बढ़ गईं। इस घटना में 11 गायों की मौत हो गई और 2 गाय गंभीर रूप से घायल हो गईं। जानकारी के मुताबिक भरुच जिले के दहेज गांव के निकट रेलवे ट्रेक पर गायों का झुंड घूम रहा था। उस वक्त भरुच स्टेशन की ओर से आ रही एक मालगाडी ने गायों के झुंड को अपनी चपेट में ले लिया7 यह हादसा दहेज स्टेशन से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर हुआ7 ट्रेन की चपेट में आई 11 गायों की घटनास्थल पर ही मौत हो गी, जबकि 2 गाय गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलते ही गांव के सरपंच समेत पशु चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। कुछ देर बाद रेलवे अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और शवों को ट्रेक से हटाया। जिसकी वजह से करीब आधे घंटे तक रेल सेवा बाधित रही, जो रेलवे ट्रेक साफ होने के बाद फिर से शुरू हो सकी। सरपंच द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मंगलवार को कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही मालगाडी के ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी।

कपड़ा व्यवसायी के पुत्र-पुत्री करोड़ों की संपत्ति छोड़ संन्यास धारण करेंगे

सूरत। शहर के अडाजण निवासी एक बड़े कपड़ा व्यापारी के पुत्र और पुत्री ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ संन्यासी बनने का फैसला किया है। आगामी 9 दिसंबर को सूरत में आयोजित दीक्षा समारोह में 20 वर्षीय यश वोरा दीक्षा लेने के बाद संन्यासी और उनकी 22 वर्षीय बहन आयुषी वोरा संन्यासिन बन जाएंगी।

यश और आयुषी दोनों 57 वर्षीय भरत वोरा नामक कपड़ा व्यवसायी की संतानें हैं। दोनों ने इंटर की पढ़ाई के बाद धार्मिक पढ़ाई के लिए पूज्य आचार्य भगवान यशोवरम सुरिश्रवर महाराज को जॉइन कर लिया था। चार साल पहले दोनों ने दीक्षा लेकर संन्यास धारण करने का फैसला लिया था। हमेशा कार में सफर करनेवाले अब संन्यास लेने के बाद पैदल चलेंगे और ब्रांडेड कपड़ों का त्याग करके दोनों साधारण सफेद सूती कपड़े धारण करेंगे। उनका भोजन सात्विक होगा। आयुषि ने मुताबिक मेरी मां मुझसे कहती थीं कि किसी से मेरी शादी करने की बजाए वह मुझे माता जी की रूप में देखना चाहती हैं। मेरी मां की सलाह पर मैंने संन्यास धारण करने के फैसला लिया। अब 9 दिसंबर को मेरा सपना पूरा हो जाएगा।

वहीं यश का कहना है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर पापा के कपड़ा व्यवसाय के समझने के लिए उनके साथ जुड़ा। कुछ महीनों के बाद मुझे अहसास हुआ कि मैं इन काम के लिए नहीं बना हूं। मेरा दिमाग बहुत अशांत रहने लगा। उसी दौरान मेरी बहन ने मुझे संन्यास धारण करने की सलाह दी। मैं पालीताना गया और वहां आचार्य जी से प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने संन्यास धारण करने का फैसला लिया। यश ने कहा कि पहले उसे क्रिकेट खेलना और दूसरे खेल खेलना बहुत अच्छा लगता था लेकिन जब से उसने संन्यास लेने का फैसला लिया है तब से उसका दिल भौतिकता से हट गया है।

अडाजण के विशाल बंगले में रहनेवाले आयुषि और यश के पिता भरत वोरा की मानें तो उनकी पैतृक गांव में संपत्ति है लेकिन वह अपने बच्चों के फैसले से खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनके गांव वाव-थराद बनासकांठा में 15 घर हैं। सिर्फ मेरे घर को छोड़कर सबके घर में संन्यासी हैं। उनका एक और बेटा है। बड़ा होने पर वह उसे भी संन्यासी के रूप में ही देखना चाहते हैं।

वडगाम को अकालग्रस्त घोषित करने की जिग्नेश मेवाणी की मांग

अहमदाबाद। बनासकांठा के वडगाम निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने वडगाम को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि उनकी मांग नहीं पूरी गई तो वह किसानों के साथ आंदोलन करेंगे। बता दें कि सोमवार को गुजरात सरकार ने राज्य के 9 जिलों की उन 51 तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित किया है, जहां 250 मिमी से कम बारिश हुई है। इन जिलों में बनासकांठा भी शामिल है, लेकिन उसमें वडगाम को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया।

वडगाम को अकालग्रस्त घोषित नहीं करने पर जिग्नेश मेवाणी ने आरोप लगाया कि सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अकालग्रस्त कई तहसीलों और गांवों को सूखा प्रभावित घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करने के सरकार के फैसले का स्वागत है, लेकिन कई तहसीलों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई और इसके बावजूद इन तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित नहीं किया गया। जिसमें बनासकांठा जिले की वडगाम तहसील भी शामिल है। जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि मैं वडगाम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और इस क्षेत्र के किसानों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। पशुओं के लिए घास चारा की गंभीर समस्या है। इन परिस्थितियों को देखते हुए वडगाम को अकालग्रस्त घोषित करने और तत्काल प्रत्येक गांव में पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही पशुओं के लिए तत्काल घास-चारे का प्रबंध और अकाल के कारण बेरोजगार हुए खेत मजदूरों के लिए मनरेगा और अन्य जलसंचय के राहत कार्य शुरू किए जाएं। जिग्नेश मेवाणी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार वडगाम को अकालग्रस्त घोषित नहीं करती है तो इस क्षेत्र का जन प्रतिनिधि होने के नाते किसानों के साथ आंदोलन और धरना करूंगा।

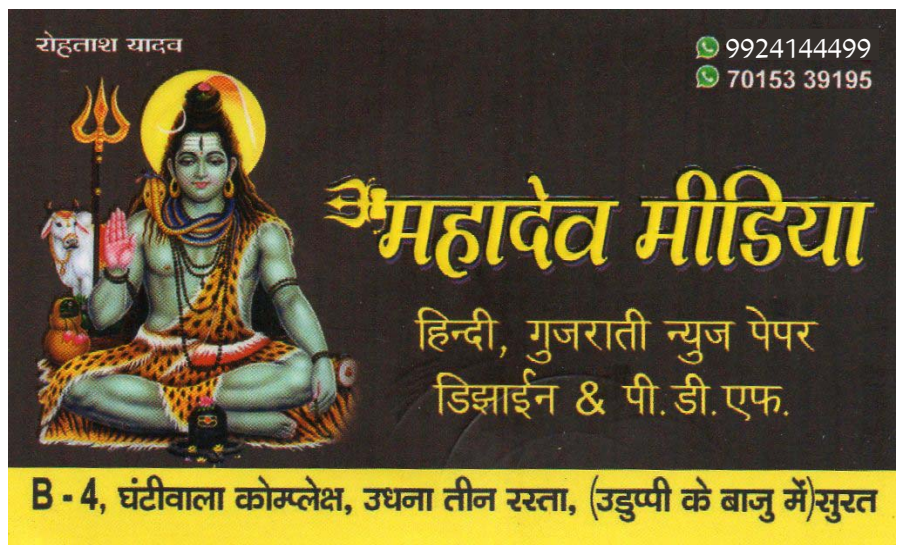

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com